तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
26.05.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित। प्रार्थी बाबाराम पुत्र रुपीजी जाति देवासी निवासी नेतरा तहसील सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2026 प्रकरण संख्या 1186/2026 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की गई है जो वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही उक्त निर्णय की क्रियान्विति स्थगित किये जाने हेतु पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मुख्यतः कथन है कि उसे धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट का नोटीस दिनांक 17.02.2026 को जारी किया गया तथा सुनवाई की दिनांक 20.02.2026 को मुकर्रर की गयी। प्रार्थी के अनुसार वह नियत तिथि को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहा, किन्तु अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे बाद में दिनांक 23.02.2026 को मार्क किया गया। इसके बावजुद दिनांक 20.02.2026 को ही अंतिम निर्णय पारित कर बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1426/1142 रकबा 0.04 हैक्टेयर पर उसका पुराना कब्जा है तथा उक्त भूमि पर पशुओं का बाड़ा एवं चाय की थडी संचालित कर वह अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। यदि अपील के अंतिम निस्तारण से पूर्व उसे उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति एवं गंभीर असुविधा होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि अपील विचारणीय है तथा विवाद के गुण–दोषों का परीक्षण अंतिम सुनवाई के समय किया जाना अपेक्षित है। यदि अपील लंबित रहते हुए मूल आदेश की क्रियान्विति जारी रहती है और प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है, तो अपील का उद्देश्य ही निष्फल हो जाने की संभावना है। साथ ही अपील के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखना न्यायहित एवं संतुलन की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरुप आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1186/2026 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2026 की क्रियान्विति मूल अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। साथ ही पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें तथा किसी प्रकार का नवीन निर्माण हस्तान्तरण अथवा कब्जे में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के सलंग्न नत्थी हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	